जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

शेख शहीद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख बहराम एवं अन्य .....प्रतिवादी

वादीगण की ओर से अधिवक्ताः– श्री शिवनारायण प्रसाद,

श्री भुवनेश्वर मिश्रा

निर्णय (Judgement)

1. प्रस्तुत वाद, वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या–02 अर्जी नालिश में मुदईयान का हक वो हिस्सा बकदर 2/5 के निस्वत बंटवारा की डिक्री पारित करते हुए सर्वेजानकार अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादीगण के हिस्से का स्वतंत्र तख्ता कायम करवाने हेतु एवं न्यायालय द्वारा वादीगण को उसके तख्ते पर दाखिल काबिज करवाने हेतु दाखिल किया गया है।

2. वादीगण का कथन वादपत्र के अनुसार संक्षेप में निम्न प्रकार है कि मुदईयान ने मुदालह प्रथम पक्ष ता मुदालह चतुर्थ पक्ष सुनी मुस्लमान है जो महम्मद कानून के हेनाफी स्कुल से शासित होते है। मुदईयान ता मुदालह प्रथम पक्ष ता मुदालह चतुर्थ पक्ष के परिवार का एक कुर्सीनामा अर्जी नालिश के मद सं0–01 में दिया गया है जो इस वादपत्र का अंश है। कुर्सीनामा के अवलोकन से विदित होता है कि शेख कमरान अपने दो पुत्र शेख बुझावन वो शेख सुझावन को छोड़कर मर गए लेहाजा कुल परिवारिक जायदद का सर्वेहाल खतियान शेख बुझावन वो शेख बुझावन के नाम पर मुन्दर्ज हुआ। शेख बुझावन अपने भाई शेख सुझावन के साथ रहते हुए नावल्द मर गये लेहाजा कुल पारिवारिक जायदाद शेख सुझावन

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

के हकियत वो कब्जा–दखल में चला आया। शेख सुझावन अपने दो पुत्र अब्दुल करीम शेख हमीद वो एक पुत्री एमामबानो को छोड़कर मर गये। अब्दुल करीम भी अपने दो पुत्र शेख इशु, शेख तुफानी वो दो पुत्री हलिमन खातुन वो झलीमन खातुन को छोड़कर मर गये। हलिमन खातुन वो झलीमन खातुन इस वाद में मुदालह सं0–13 वो 14 यानि मुदालह तृतीय पक्ष है। इशु मियाँ अपने एक पुत्र अजमुल्लाह वो पाँचों पुत्रियों, मुन्नी बेगम, झुन्नी बेगम, नुरजहाँ बेगम, अजरुन नेशा, शाहजहाँ बेगम को छोड़कर मर गये। इशु मियाँ के लड़के वो लड़कियाँ इस वाद में मुदालह सं0–06 ता 13 यानि मुदालह द्वितीय पक्ष है। शेख तुफानी अपने तीन पुत्र शेख बहराम, शेख सेराज, शेख सरफराज वो दो पुत्री रौशन आरा वो युगनी आरा को छोड़कर मर गये। शेख तुफानी के लड़के वो लड़कियाँ इस वाद में मुदालह सं0–01 ता 05 है यानि कि मुदालह प्रथम पक्ष है। शेख हमीद अपने दो पुत्र शेख शाहीद वो शेख महीद वो एक लड़की आसमा खातुन को छोड़कर मर गये। आसमा खातुन पैतृक जायदाद में अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दिया है लेहाजा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया हैं वो आसमा खातुन के अनुमति से उनके दोनों भाई यह मोकदमा मुदईयान के हैसियत से दाखिल करते हैं। शेख सुझावन की एकमात्र पुत्री एमामबानी के एकमात्र पुत्र शेख हसमुद्दीन इस वाद में मुदालह सं0–15 यानि की मुदालह चतुर्थ पक्ष वो मुदालह सं0–16 वो 17 बयदरान है जिनको बयदरान के हैसियत से पक्षकार बनाया गया है, ये लोग मुदालह पंचम पक्ष है। मौजा–बारवा शेख का सर्वेहाल खाता सं0–61, कुल मवाजी 01 बिगहा 06 कट्ठा का सर्वेहाल खतियान शेख बुझावन वो शेख सुझावन के नाम पर दर्ज है। शेख बुझावन के मरने के बाद शेख सुझावन ने खाता सं0–89, खेसरा सं0–315 की 05 कट्ठा 05 धुर भूमि तत्कालीन जमीन्दार से बजरिये बंदोबस्ती हासिल किया जिसकी जमाबंदी भी बिहार सराकार में जमाबंदी सं0–182, शेख

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

सुझावन के नाम पर चलती है। इस तरह खतियानी वो बंदोबस्ती मिलाकर कुल 01 बिगहा 11 कट्ठा 05 धुर इस मोकदमा में बंटवारा तलब जायदाद है, जिसका विवरण अर्जी नालिश के मद सं0–02 में दिया गया है। कुल खतियानी वो बंदोबस्ती जायदाद शेख सुझावन के मरने के बाद उनके वारीशान शेख अब्दुल करीब वो शेख हमीद वो बीबी एमामबानो के हकियत वो कब्जा में चला आया। सन् 1995 ई0 में पक्षकारों के बीच खाना–पीना वो कारोबार अलग हो गया लेकिन एराजी बंटवारा तलब मुन्दर्ज मद सं0–02 अर्जी नालिश का वो बजाप्ता बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि सुविधा से कुछ–कुछ भूमि अलग–अलग वो ज्यादातर भूमि इजमाल जोत–आबाद होता है वो यही सीलसिला आजतक चला आ रहा है। एमामबानों के एकमात्र पुत्र शेख हसमुद्दीन मुदालह सं0–13 ने अपनी मादरी हिस्सा का दावा किया तो मुदईयान ने एराजी मवाजी 03 कट्ठा 03 धुर बजरिये बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2002 उचित जरसम्मन देकर खरीद वो हासिल कर लिया वो बयदार के हैसियत से कब्जा–दख्ल में चला आये। यह जायदाद बवक्त फाईनल बंटवारा एमामबानों के वारीश शेख हसमुद्दीन के तख्ता वो हिस्सा में शामिल होगा। मुदईयान वो मुदालह प्रथम वो मुदालह द्वितीय पक्ष के पूर्वज शेख इशु वो शेख तुफानी ने कुछ भूमि बिक्री किया है वह बिक्री की गई जायदाद बवक्त फाइनल बंटवारा उनके हिस्से वो तख्ते में शामिल होगा। पक्षकार या पक्षकार के पूर्वज द्वारा की गई किसी तरह का हस्तान्तरण उनके हिस्से के अन्दर का जायज वो प्रभावकारी है वो हिस्से से फाजिल जायदाद के लिए हस्तान्तरण नाजायज वो शुन्य समझा जायेगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एराजी बंटवारा तलब जायदाद मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश पक्षकार की मौरुसी जायदाद है, जिसका कोई बजापता बंटवारा आजतक नहीं हुआ है। बंटवारा तलब जायदाद के निस्वत पक्षकारों के बीच संयुक्त स्वत्व वो संयुक्त दखल–कब्जा

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

विद्यमान है। एराजी सदर का लगान वो मालगुजारी अदाय करने में वो संयुक्त जायदाद के फसल के बंटवारा में पक्षकारों के बीच हमेशा झंझट वो कड़वाहट होता है, जिसको लेकर मुदईयान ने मुदालह प्रथम, मुदालह द्वितीय वो तृतीय पक्ष से कुल बंटवारा तलब जायदाद का आपसी सहमती से बंटवारा करने का निवेदन किया, लेकिन कोई न कोई बहाना बना कर मुदालहम सदर बंटवारा करने से इनकार करते आये लेहाजा यह बंटवारा वाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महम्मदन कानून के मोताबिक मुदईयान का जुमला हिस्सा 2/5 होता है। इसी तरह मुदालह प्रथम पक्ष इशु मियाँ के वारीशान मुदालह द्वितीय पक्ष शेख तुफानी के वारीशान वो मुदालह सं0–13 वो 14 का जुमला हिस्सा 2/5 वो मुदालह सं0–15 का शेख हसमुद्दीन का हिस्सा 1/5 होता है। बंटवारा नहीं होने से मुदईयान को अजीम आर्थिक वो मानसिक परेशानी का सामाना करना पड़ता है। वाद का कारण विगत एक साल से लगातार वो आखिररस बतारिख 25.08.2021 बरोज करने इस्तदोआ वास्ते बंटवारा वो इनकारी मुदालह बवाके मौजा–बारवा शेख, पोस्ट–बेलवा मोड़, थाना–लौरिया, जिला–प0 चम्पारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधिन उत्पन्न हुआ है। मालियत मोकदमा तकमीनन मो0–3,00,000 (तीन लाख) रूपया वास्ते क्षेत्राधिकार न्यायालय के कायम किया जाता है वो वास्ते डिक्री बंटवारा के निर्धारित न्याय शुल्क मो0–250 (दो सौ पचास) रूपया अदाय किया जाता है। वाद का आधार अन्दर जायदाद मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश में हक वो हिस्सा मुदईयान है। मुदईयान वाद के आधार के रूप में मौजा–बारवा शेख का सर्वेहाल खाता सं0–61 की सच्ची प्रतिलिपी वो शेख सुझावन के नाम के पट्टा बंदोबस्ती वो मालगुजारी रसीद की छायाप्रति वो बयनामा दस्तोवज दिनांक 17.01.2002 की शेख हसमुद्दीन बनाम फिदवी मुदईयान की छायाप्रति फिलहाल दाखिल की जाती है। शेख सुझावन के नाम की पट्टा मुदालहम के पास

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

है। अन्य मूल दस्तावेज बवक्त सुनवाई मोकदमा दाखिल करने की अनुमति की याचना की जाता है।

3. समन के उपरांत प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपस्थिति हेतु अखबार में प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन के बाद भी प्रतिवादी सं0–01 ता 15 एवं 17 उपस्थित नही हुआ। सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0–01 ता 15 एवं 17 न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः इस वाद में प्रतिवादी सं0–01 ता 15 एवं 17 के विरूद्ध दिनांक 25.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही हेतु वाद निर्धारित किया गया। प्रतिवादी सं0–16 इस वाद में दिनांक 26.04.2023 को हाजिर हुए थे परन्तु इनके तरफ से 90 दिनों के बाद भी ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया। ऐसी दशा में दिनांक 25.07.2024 को प्रतिवादी सं0–16 को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया।

4. **इस वाद में सुविधा के दृष्टिकोण से तीन मुख्य बिन्दुओं का निर्धारण करना है :–**

(i) क्या वादीगण द्वारा लाया गया वाद पोषणीय है ?

(ii) क्या वादग्रस्त भूमि में पक्षकारों के कब्जे एवं स्वामित्व की एकता है ?

(iii) क्या वादीगण संबंधित भूमि में बंटवारा कराने के हकदार है ?

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

5. वादीगण की ओर से निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रदर्श–01	मूल बैयनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2002
प्रदर्श–02	फर्द मालगुजारी रसीद 2008–09
प्रदर्श–2/A	फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 2015–16
प्रदर्श–2/B	फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 2017–18 जमाबंदी सं0–953
प्रदर्श–03	मौजा बारवा टोला का हाल सर्वे खतियान खाता सं0–61 बनाम शेख सुझावन वो शेख बुझावन की सच्ची प्रतिलिपी

6. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा वादीगण की ओर से निम्नांकित साक्षियों को मौखिक साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया गया है।

वादी साक्षी सं0–01	शेख महीद
वादी साक्षी सं0–02	चिरकुट मियाँ
वादी साक्षी सं0–03	शेख मजीद
वादी साक्षी सं0–04	भुटुकुन मियाँ

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

विनिश्चय (Finding)

7. विवाद्यक संख्या–(i), (ii) एवं (iii)

सुविधा के दृष्टिकोण से तीनों वाद बिन्दुओं को विनिश्चयन हेतु एक साथ लिया जाता है।

वादीगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। मौखिक साक्षियों में **वादी साक्षी सं0–01 शेख महीद** स्वयं वादी सं0–02 है। वादी साक्षी सं0–01 ने अपने शपथ पर मुख्य परीक्षण में कहते है कि साक्षी प्रस्तुत वाद में वादी सं0–02 है और वादी सं0–01 मेरे सगे भाई है। शेख बुझावन वो शेख सुझावन सगे भाई थे जो शेख कमरान के पुत्र थे। शेख बुझावन अपने भाई शेख सुझावन के साथ रहते हुए नावल्द मर गये। शेख सुझावन के दो पुत्र अब्दुल करीम और शेख हमीद तथा एक पुत्री एमामबानों हुई। एमामबानों के एकमात्र पुत्र शेख हसमद्दीन इस वाद में मुदालह सं0–15 है। अब्दुल करीम के दो पुत्र शेख इसु, शेख तुफानी वो दो पुत्रियाँ बीबी अलीमन खातुन वो मलीमन खातुन हुई। शेख इसु वो शुख तुफानी मर गए है। शेख तुफानी के तीन लडके वो दो लड़कियाँ जो मुदालह सं0–01 ता 05 है। शेख इसु के एक पुत्र वो छः लड़कियाँ मुदालह सं0–06 ता 12 है। अब्दुल करीम की दोनों लड़कियाँ मुदालह सं0–13 एवं 14 है। मौजा–बरवा शेख थाना–लौरिया का सर्वेहाल खाता सं0–61, रकवा–01 बिगहा 06 कट्ठा भूमि शेख बुझावन वो शेख सुझावन के नाम पर दर्ज है। वो खाता सं0–89, खेसरा सं0–315 की 5 कट्टा 5 धुर भूमि शेख सुझावन के नाम पर बंदोबस्त है जिसकी जमाबंदी सं0–182 शेख सुझावन के नाम पर दर्ज है। हसमुद्दीन ननीहाली जायदाद में हिस्सा का दावा करने लगे। उनके हिस्से की 03 कट्ठा 03 धुर भूमि निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2002 को

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

वादीगण के द्वारा खरीद लिया गया है वो दखल–कब्जा में चले आ रहे है। यह भूमि अंतिम बंटवारा में हसमुद्दीन के हिस्से में समायोजित करते हुए हमलोगों के तख्ते में शामिल कर दिया जाए।

वादी साक्षी सं0–02 चिरकुट मियाँ है। वादी साक्षी सं0–02 ने अपने शपथ पर मुख्य परीक्षण में बताया कि वे दोनों पक्षों को जानते है और बंटवारा तलब जायदाद देखे है जो मौजा–बरवा में अवस्थित है। आगे कहते है कि विवादित जमीन कुल 01 बिगहा 11 कट्ठा 05 धुर है जो शेख सुझावन के वारीसान मुदई वो मुदालहम के बीच सुविधानुसार कमोवेश एराजी अलग–अलग कब्जा–दखल में है वो कुछ एराजी इजमाली हालत में है। शेख सुझावन के पुत्री एमामबानों के लड़के हसमुद्दीन ने अपनी माँ एमामबानों का हिस्सा 03 कट्ठा 03 धुर शेख शहीद वो शेख महीद को बिक्री कर दिया जिसपर शेख शहीद वो शेख महीद का दखल–कब्जा है। पक्षकारगण 28–29 वर्षो से अलग रहते आ रहे है और बंटवारा तलब जायदाद का आर–डरेर देकर बंटवारा नहीं हुआ है जिससे पक्षकारों के बीच झगड़ा झंझट रहता है।

वादी साक्षी सं0–03 शेख मजीद है। वादी साक्षी सं0–03 ने अपने शपथ पर मुख्य परीक्षण में बताया कि वे दोनों पक्षों को जानते है और बंटवारा तलब जायदाद देखे है जो मौजा–बरवा में अवस्थित है जो करीब 01 बिगहा 11¼ कट्ठा है। बंटवारा तलब जायदाद में पक्षकार सुविधा के अनुसार जोत–आबाद करते है एवं पक्षकारों के बीच बंटवारा तलब जायदाद का आर–डरेर देकर बंटवारा नहीं हुआ है जिससे पक्षकारों के बीच झगड़ा झंझट रहता है।

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

वादी साक्षी सं0–04 भुटकुन मियाँ है। वादी साक्षी सं0–04 ने अपने शपथ पर मुख्य परीक्षण में बताया कि वे दोनों पक्षों को जानते है और बंटवारा तलब जायदाद देखे है जो मौजा–बरवा में अवस्थित है जो करीब 01 बिगहा 11 कट्ठा 05 धुर है। पक्षकारों के पूर्वज शेख सुझावन वो शेख बुझावन के नाम पर खतियानी भूमि है जिसमें पक्षकार अलग–अलग वो कुछ एराजी इजमाल में जोत–आबाद करते आ रहे है जिसका बजाप्ता बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। शेख सुझावन की एक पुत्री एमामबानों के पुत्र अपने माँ का हिस्सा 03 कट्ठा 03 धुर भूमि वादी को बिक्री किये है जिसपर वादी का दखल–कब्जा है। मूल बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2002 शेख हसमुद्दीन बनाम शेख शहीद वो शेख महीद, शेख हसमुद्दीन के कहने पर कातिब ने तैयार किया वो पढ़–पढ़वाकर समझा दिया जिसे सही पाकर शेख हसमुद्दीन ने अपना निशान बनाया वो उनका सही जमीन अहमद ने लिखा जिसका पहचान जमीन अहमद ने किया। यहीं मूल दस्तावेज है जिसे **प्रदर्श–1** अंकित किया गया है। मालगुजारी रसीद जमाबंदी सं0–182 दो फर्द जिसमें पहला वर्ष 2008–09 है जो ओमप्रकाश कर्मचारी के हस्ताक्षर वो लिखावट में है, जिसे **प्रदर्श–2**, तथा दुसरा फर्द वर्ष 2015–16 जो अजय कुमार राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर वो लिखावट में है, जिसे **प्रदर्श–2/A** अंकित किया गया है। फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 2017–18 जमाबंदी सं0–953 जो वादी शहीद वो महीद के नाम से है जो जब्बार मियाँ कर्मचारी के लिखावट वो हस्ताक्षर में है जिसे **प्रदर्श– 2/B** अंकित किया गया है। मौजा बारवा टोला का हाल सर्वे खतियान खाता सं0–61 बनाम शेख सुझावन वो शेख बुझावन की सच्ची प्रतिलिपी वादी द्वारा दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिसे **प्रदर्श–3** अंकित किया गया है।

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में **प्रदर्श–01** मूल बैयनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2002 है। **प्रदर्श–02** फर्द मालगुजारी रसीद 2008–09 है, **प्रदर्श–2/A** फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 2015–16 है, **प्रदर्श– 2/B** फर्द मालगुजारी रसीद वर्ष 2017–18 जमाबंदी सं0–953 है तथा **प्रदर्श–3** मौजा बारवा टोला का हाल सर्वे खतियान खाता सं0–61 बनाम शेख सुझावन वो शेख बुझावन की सच्ची प्रतिलिपी है।

अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने अपने वाद पत्र के कंडिका–6 में कहा है कि शेख हमीद अपने दो पुत्रों शेख शहीद और शेख महीद और एक लड़की आसमा खातुन को छोड़कर मर गए। आसमा खातुन पैतृक जायदाद में अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दी है लेहाजा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है परन्तु न्यायालय का यह मत है कि आसमा खातुन इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पता चले कि आसमा खातुन ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने कंडिका–10 में कहा है कि शेख इसु व शेख तुफानी ने कुछ भूमि बिक्री किया है जबकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा जो भूमि बिक्री की गई है, वह कितनी है और किसे बिक्रय की गई है। जिस व्यक्ति को शेख इसु व शेख तुफानी ने बिक्री किया है, उस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने अपने वाद पत्र के कंडिका 8 में कहा है कि शेख बुझावन के मरने के बाद शेख सुझावन ने खाता सं0–89, खेसरा–315 की 05 कट्ठा 05 धुर भूमि तत्कालीन जमीन्दार से बजरिये बन्दोबस्ती हासिल किया जिसकी जमाबंदी भी बिहार सरकार में जमाबंदी सं0–182, शेख सुझावन के नाम पर चलती है। इस तरह

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

खतियानी और बंदोबस्ती मिलाकर कुल 1 बिगहा 11 कट्ठा 5 धुर भूमि इस मुकदमा में बंटवारा तलब जायदाद है परन्तु वादीगण की ओर से बजरिये बंदोबस्ती प्राप्त जमीन के संबंध में बंदोबस्ती दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से इस सम्बंध में मालगुजारी रसीद 2008–09, 2015–16, 2017–18 दाखिल किया है। मालगुजारी रसीद स्वामित्व का निश्चायक साक्ष्य नहीं है। बंदोबस्ती जमीन के संबंध में वादीगण की ओर से मालगुजारी रसीद के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले के आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह वाद पक्षकार दोष से ग्रसित है तथा जिस जमीन के बंटवारा के संबंध में दावा किया गया है, उसके कुछ भाग को जो जमीन, बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त दर्शायी गई है उसे पूर्णतः साबित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जे एवं स्वामित्व की संयुक्तता को साबित करने में असफल रहे है।

जिला – प0 चम्पारण (बिहार)

न्यायालय–अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

उपस्थित– महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

दिनांक :– 29.04.2026

बंटवारा वाद संख्या– 44/2021

8. **आदेश (Order)**

अतः यह आदेशित किया जाता है कि वादीगण का वाद एक पक्षीय खारिज किया जाता है।

कार्यालय निर्णय अनुसार नियत समय में डिक्री तैयार करें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित किया गया

महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायाधीश–द्वितीय

नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

दिनांक 29.04.2026

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित व शुद्धिकृत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महेन्द्र मिश्रा

अवर न्यायाधीश–द्वितीय

नरकटियागंज (प0 चम्पारण)

दिनांक 29.04.2026